भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 674
06 फरवरी, 2025 को उत्तर देने के लिए

कोल्ड चेन योजना तक पहुंच

674. श्री पी.पी. चौधरी:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छोटे किसानों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के बीच कोल्ड चेन योजना की पहुंच के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन-कौन से विशिष्ट उपाय कार्यान्वित किए गए हैं और विगत वर्ष के दौरान कितने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कोल्ड चेन योजना से लाभान्वित हुए छोटे किसानों और संगठनों की संख्या का ब्यौरा क्या है और राज्यवार एवं वर्षवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या विशेषकर सुदूर क्षेत्रों में कोल्ड चेन अवसंरचना में कमियों के संबंध में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या उक्त योजना के कार्यक्षेत्र और कवरेज को बढ़ाने के लिए कोई योजना निर्मित की गई है और यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्धन के ब्यौरे सहित इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक एकीकृत शीत श्रंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना के तहत, मंत्रालय की वेबसाइट पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी करके दूरदराज या अविकसित क्षेत्रों सहित देश भर में समय-समय पर परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। उपरोक्त योजना के व्यापक प्रचार के लिए इसे प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) और प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रसारित किया जाता है। मंत्रालय अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी योजना के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त, योजना के बारे में विस्तृत जानकारी, दिशानिर्देश और अपडेट आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाते

हैं, जिससे प्रासंगिक संसाधनों तक आसान पहुंच मिलती है। छोटे किसानों के साथ-साथ संस्थाएं/संगठन जैसे एफपीओ/एफपीसी/एनजीओ/पीएसयू/फर्म/कंपनियां आदि सहित व्यक्ति इस योजना के तहत लाभ उठाने के पात्र हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रोत्साहन गतिविधियों की योजना के अंतर्गत, मंत्रालय ने वर्ष 2024 के दौरान देश भर में सेमिनार, कार्यशालाएं, सम्मेलन, प्रदर्शनी आदि जैसे 60 कार्यक्रमों के आयोजन के लिए विभिन्न पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, ताकि कोल्ड चेन योजना सहित मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के बारे में छोटे किसानों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) सहित हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा की जा सके।

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल्ड चेन योजना से लाभान्वित किसानों और संगठनों की संख्या तथा प्रदान की गई राज्यवार वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय शीत-श्रृंखला विकास केंद्र (एनसीसीडी) द्वारा 2015 के दौरान प्रकाशित "अखिल भारतीय शीत-श्रृंखला अवसंरचना क्षमता स्थिति एवं अंतर आकलन" पर एक अध्ययन रिपोर्ट में देश में पहले से निर्मित अवसंरचना की मौजूदा क्षमता और अनुमानित आवश्यकता के बीच के अंतर पर प्रकाश डाला गया है। देश की शहरी आबादी (2014-15) के आधार पर अनुमानित राज्यवार अवसंरचना आवश्यकता का विवरण, जैसा कि उपरोक्त रिपोर्ट में दिया गया है, **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ): कोल्ड चेन योजना मांग आधारित है और इस योजना के तहत धन की उपलब्धता के आधार पर मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी करने के माध्यम से पूरे देश से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोल्ड चेन परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए अनुमोदन पत्र जारी करने की तारीख से 24 महीने और कठिन क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए 30 महीने होगी।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 06.02.2025 को "कोल्ड चेन योजना तक पहुंच" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 674 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

कोल्ड चेन योजना के तहत 2022-23, 2023-24, 2024-25 से 31.12.2024 तक पूर्ण की गई कोल्ड चेन परियोजनाओं और लाभान्वित किसानों का विवरण						
क्रमांक	**राज्य**	**पूर्ण की गई कोल्ड चेन परियोजनाओं की संख्या**	**कुल परियोजना लागत**	**स्वीकृत की गई अनुदान सहायता**	**जारी की गई अनुदान सहायता**	**लाभान्वित किसान**
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	8	336.09	70.95	69.58	76416
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
4	असम	0	0	0	0	0
5	बिहार	0	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	0	0	0	0	0
8	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	0	0	0	0	0
10	गोवा	0	0	0	0	0
11	गुजरात	2	74.1	19.8	19.33	19104
12	हरियाणा	4	103.8	31.99	31.22	38208
13	हिमाचल प्रदेश	2	56.13	19.52	19.03	19104
14	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0
15	झारखंड	0	0	0	0	0
16	कर्नाटक	2	48	13.64	12.95	19104
17	केरल	1	27.31	10	9.63	9552

18	लद्दाख	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0
21	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0
22	मणिपुर	0	0	0	0	0
23	मेघालय	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	0	0	0
26	उड़ीसा	1	49.39	10	9.5	9552
27	पुडुचेरी	0	0	0	0	0
28	पंजाब	3	66.53	13.23	13.1	28656
29	राजस्थान	0	0	0	0	0
30	सिक्किम	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	3	61.1	16.99	16.52	28656
32	तेलंगाना	1	64.09	10	9.4	9552
33	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	2	34.88	14.14	14	19104
35	उत्तराखंड	4	76.98	39.53	38.16	38208
36	पश्चिम बंगाल	2	64.96	14.42	14.25	19104
कुल		**35**	**1063.36**	**284.21**	**276.67**	**334320**

अनुबंध – II

दिनांक 06.02.2025 को "कोल्ड चेन योजना तक पहुंच" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 674 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

एनसीसीडी द्वारा 2015 के दौरान दी गई रिपोर्ट के अनुसार 2014-15 तक शीत भंडारण आवश्यकता का राज्यवार विवरण।

	शहरी जनसंख्या (2014-15)	**जनसंख्या का प्रतिशत**	**कुल कोल्ड स्टोर (एमटी)**
आंध्र प्रदेश	18428602	4.46	530925
अरुणाचल प्रदेश	354419	0.09	7508
असम	4774459	1.15	71996
बिहार	13008947	3.15	5123982
छत्तीसगढ	6670958	1.61	513830
दिल्ली	17718674	4.29	40122
गोवा	1002786	0.24	2271
गुजरात	28523771	6.9	2239476
हरियाणा	9998498	2.42	240395
हिमाचल प्रदेश	722662	0.17	306147
जम्मू और कश्मीर	3807726	0.92	907842
झारखंड	8710072	2.11	24951
कर्नाटक	25886395	6.26	210313
केरल	19831340	4.8	45874
एमपी	21658925	5.24	1867179
महाराष्ट्र	54543414	13.19	157709
मणिपुर	943761	0.23	5062

मेघालय	651738	0.16	18704
मिजोरम	623469	0.15	8920
नागालैंड	676818	0.16	8675
ओडिशा	7583316	1.83	305500
पंजाब	11227754	2.72	1693408
राजस्थान	18558887	4.49	53395
सिक्किम	210234	0.05	2621
तमिलनाडु	37817826	9.15	194640
तेलंगाना	12806317	3.1	277129
त्रिपुरा	1161198	0.28	8554
उत्तरप्रदेश	48414644	11.71	10675137
उत्तराखंड	3410752	0.82	72931
पश्चिम बंगाल	31729218	7.67	9480929
यूटी एवं अन्य			4539
कुल	**413461936**		**35100664**

*****